रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3927] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2019/अग्रहायण 15, 1941
No. 3927] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2019/AGRAHAYANA 15, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4372(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3881 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 14 दिसम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य उत्तर-पूर्वी भारत में मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल से लगभग 170 किलोमीटर में लूंगलेई जिला में स्थित है;

और, इसके पारिस्थितिकी, वनस्पति, जीवजन्तु और प्राकृतिक महत्व के कारण और वन्यजीवों के संरक्षण, प्रचार और विकास के लिए इसकी आवश्यकता के कारण मिजोरम राज्य सरकार द्वारा इसे पर्यावरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन जारी अधिसूचना सं. बी.12012/10/96-एफएसटी, तारीख 12 अक्टूबर, 2000 के द्वारा अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, यह अभयारण्य 35.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका 40% क्षेत्र आरक्षित वन और 60% क्षेत्र सरकारी अवर्गीकृत भूमि है। घाटियों और तलहटियों को छोड़कर इसका अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी जिसमें 70% खड़ी पहाड़ी ढलान और 30% नम्र ढलान हैं तथा रेतीली मिट्टी और तलछटी चट्टानें भी हैं;

और, खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वन हैं, जिनकी समृद्ध जैविक विविधता पारिस्थितिकी सेवाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलसंभर मूल्यों की दृष्टि से इस अभयारण्य का बहुत महत्व है, क्योंकि यह बारहमासी जल का एकमात्र स्रोत है जिससे सीमांत ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति होती है;

और, अभयारण्य जैव विविधता में काफी समृद्ध है, और कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न (आरईटी) और स्थानिक प्रजातियों को आश्रय और संरक्षण प्रदान करता है;

और, खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य वनस्पतियों की लगभग 28 प्रजातियों को संरक्षण और आश्रय देता है जिनमें 14 वृक्ष प्रजातियां, बांस और रॅतन की 11 प्रजातियां और ऑर्किड की 3 प्रजातियां सम्मिलित हैं। 14 वृक्ष प्रजातियों में थिंगप्यूथिंग (*लिथोकारपस एलिगेंस*), सफूत (*रान्डिया वालिची*), टैटे (*आर्टोकारपस नाइटिडस*), थिंग्सिया (*क्रास्टानोपिस लान्स्टाफोलिया*), छावंट्यूवल (*अपूरुसा ओकटेन्ड्रा*), देन (*क्रेरकस हेल्फ़िरियाना*), खियांग (*स्कीमा वॉलिचिई*), केइफैंग (*मिरिका एसुलेंटा*), थेनसेन (*लिथोकारपस पैचिफाईला*), थिंग्सपू (*डायोएक्सिलेम ऑलियारिया*), खुंगथुल (*अल्सेडोफन पेटीओलारिस*), बल्बवार (*पर्सन विलोसा*), सेवुक (*ओलेआ डायओसिआ*) और थेरिया (*कोरिलीया ब्रेचीटा*) सम्मिलित हैं। बांस और रतन की 11 प्रजातियों में रॉक्सब रावथिंग (*बैंबुसा तुलदा*), मुनरो नाकाई-फार (*चिमोनोबैम्बुसा कॉलोसा*), मुनरो-रावपूई (*डेंड्रोकैलेमस गिगेंटास*), नीस और अर्न -फुलरुआ (*डेंड्रोकैलेमस हॅमिल्टनि*), कुर्ज़-रावनाल (*डेंड्रोकैलेमस लांगीपैथस*), गैंबल-रावमी (*डेंड्रोकैलेमस सिक्किमेंसिस*), कुर्ज़-मॉटक (*मेलोकाना बासीफेरा*), गैंबल-रावथला (*स्कीज़ोस्टाच्यम दुलुआ*), गैंबल-रॉन्गल (*स्कीज़ोस्टाच्यम फूशियायनम*), मजूमदार-चाल (*स्कीज़ोस्टाच्यम पॉलीमोरफम*) और मुनरो-लिक (*सिनारुंडिनारिया ग्रिफिथियाना*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य जीवजन्तुओं की 21 प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें मांसाहारियों की 8 प्रजातियां, प्राइमेट्स की 4 प्रजातियां और 3 शाकाहारी प्रजातियां सम्मिलित हैं। यह 15 स्तनधारी प्रजातियों जैसे हुलांक उतक (*हीलोबेट्स हूलॉक*), स्टंप- लघु पुच्छ वानर (*मकाका आर्क्टिओड्स*), फायरे लिफ्स बंदर (*ट्रैकिपिथेकस फ़ैरी*), कैप्ड लंगूर (*ट्रैक्टीपेटेकस पाइलेटस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), स्वर्ण बिल्ली (*फ़ेलट्स टेममिन्की*), मारबल्ड बिल्ली (*पेर्डोफेलिस मार्मोराटा*), बनबिलार (*फेलट्स चौस*), तेंदुआ बिल्ली (*प्रियोनाइलुरुस बेंगलेंसिस*), हिमालयन बैक भालू (*उर्सस थिबेटनस*), मलायन सूर्य भालू (हेलारकोट्स मालायनस), जंगल कुत्ता/धोल (*क्यूओन अल्पाइंस*), सेरो (*कैप्ररीकोर्निस रूबिडस*), गोरल (*निमोराएडस ग्रिसस*) और मुंजक (मुनटियाकस मुंटजैक) को भी आश्रय देता है;

और, अभयारण्य 3 महत्वपूर्ण सरीसृप प्रजातियों को आश्रय देता है जिनमें बर्मेसे पायथन (*पायथन मोलून्सबिवेटटस*), किंग कोबरा (*ओफिओफैगस हन्ना*) और ग्रीन व्हिस्पनेक (*एट्टल्ला नासूता*) आदि है। यह तीन महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर कछुए/टेरापीन्स और कछुए को भी आश्रय देता है जिनमें एशियन ब्राउन कछुआ (*मनोरिया एमीस*), असम लीफ टर्टल (*साइक्लेमिस डेंटेट*) और मलायन बॉक्स कछुए (*कुओरा एबॉन्वेन्सिस*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य पक्षियों की दृष्टि से समृद्ध है और **17** महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों को आश्रय देता है जैसे कि कलिस तीतर (*लोफुरा लेकुमेलानोस*), ग्रे मयूर तीतर (*पॉलीप्लेक्ट्रोन बाइलिककार्टम*), बांस तीतर (*बाम्बसिओला फायची*), स्मॉल बंटक्राइल (*टर्निक्स सिल्वैटिकस*), ओरिएंटल चितकबरी धनेश (*एन्थ्रोकोकेरस अल्बिओरस्ट्रिस*), वावरहेड धनेश (*रीयटीसर्स अंड्युलेटस*), ग्रे वेगटेल (*मोटेसिला सिनेरिया*) , वन वेगटेल (*मोटासिला इंडिका*), रेड हेडेड ट्रागोन (*हारपैक्ट्स इरिथ्रोसेफालस*), लॉगटेल्ड ब्रॉडबिल (*स्टेरिसोमस डेलहासिया*), ग्रे हेडेड पैरोटबिल (*पैराडोक्सोर्निस गुलारिस*), व्हाइट क्रस्टेड बायानद चिलबिल (*गाररुलक्स लेउकोफॉफस*), ब्राउन वुड उल्लू (*स्ट्रीक्स लेप्टोग्रामिका*), लिटिल बटंगुइल (*टर्निक्स सिल्वैटिका*), ब्लू बियरडेड मधुमक्खी ईटर (*निक्टीयोर्निस एथ्ररोनि*) और ग्रे बैंक्ड शिरीके (*लैनीस टेफ्रोनोटस*) सम्मिलित हैं;

और, अभयारण्य में 11 स्थानिक प्रजातियां भी हैं जिनमें लमचित्ता, हुलांक उतक, सूर्य भालू, लजीला वानर, फायरे लीफ बंदर, सांभर, सेरो, कलीज तीतर, मोर तितर, सामान्य पहाड़ी तीतर और चितकबरी धनेश आदि शामिल हैं;

और, खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहाँ गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लुंगलेई जिले के मिजोरम राज्य में खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.1 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर

तक विस्तारित क्षेत्र को खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर 0.1 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर समान रूप से विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल **16.19 वर्ग किलोमीटर** है।

(2) खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है ।

(5) खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशां, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी;
(iv) भूमि राजस्व और समाधान;
(v) स्थानीय प्रशासन;
(vi) पुलिस विभाग;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) नगरपालिका और शहरी विकास;
(ix) पर्यटन;
(x) मत्स्य पालन विभाग;
(xi) ग्रामीण विकास;
(xii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(xiii) नगरपारिका;
(xiv) पंचायती राज;
(xv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और
(xvi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो,तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगो या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रहवास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि प्रादेशिक शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने का बेरे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या ,रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -.पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनयम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	विवरण (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी । (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त ,2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल ,2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी फरवरी, 2016 में मार्गदर्शक सिद्धांतो में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक, कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ,पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान

		क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा।
10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियोंथा अन्य) (उपबंधित के सिवायके अनुसार विनियमित होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा और क्रियाकलाप की सख्त मानीटरी की जाएगी।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारिगरों सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	लुंगलेई जिला के उपायुक्त	-अध्यक्ष, पदेन;
2.	भूमि राजस्व और बंदोबस्त विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
3.	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
4.	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
5.	स्थानीय प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
6.	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरीग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
8.	मत्स्य विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
9.	उद्योग विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
10.	पुलिस विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
11.	विद्युत और विद्युत विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
12.	पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
13.	मृदा और नमी संरक्षण विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
14.	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
15.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	–सदस्य;
16.	क्षेत्रीय अधिकारी, मिजोरम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
17.	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ	–सदस्य;
18.	मिजोरम राज्य की किसी प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से जैव विविधता का विशेषज्ञ	–सदस्य;
19.	वन / प्रभागीय वन अधिकारी के संबंधित उप संरक्षक	–सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/19/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

मिजोरम राज्य में खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: दैदक लुई और तुईचंग लुई (92°55'59.084"पू, 23°10'27.637"उ) के संगम से आरंभ होकर, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अभयारण्य सीमा से 500 मीटर की दूरी तक जाकर वाईफेई लुई (92°57'40.276"पू, 23°9'19.043"उ) से मिलती है।

पूर्व: वाईफेई लुई को पार करके, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पूर्वी सीमा अभयारण्य सीमा से 500 मीटर की दूरी तक जाकर तुईकौल लुई (92°59'52.932"पू, 23°5'42.853"उ) से मिलती है।

दक्षिण: दक्षिणी सीमा तुईकौल लुई से अभयारण्य सीमा से 600 मीटर की दूरी तक जाकर तुचंग नदी (92°57'27.647"पू, 23°3'56.07"उ) से मिलती है।

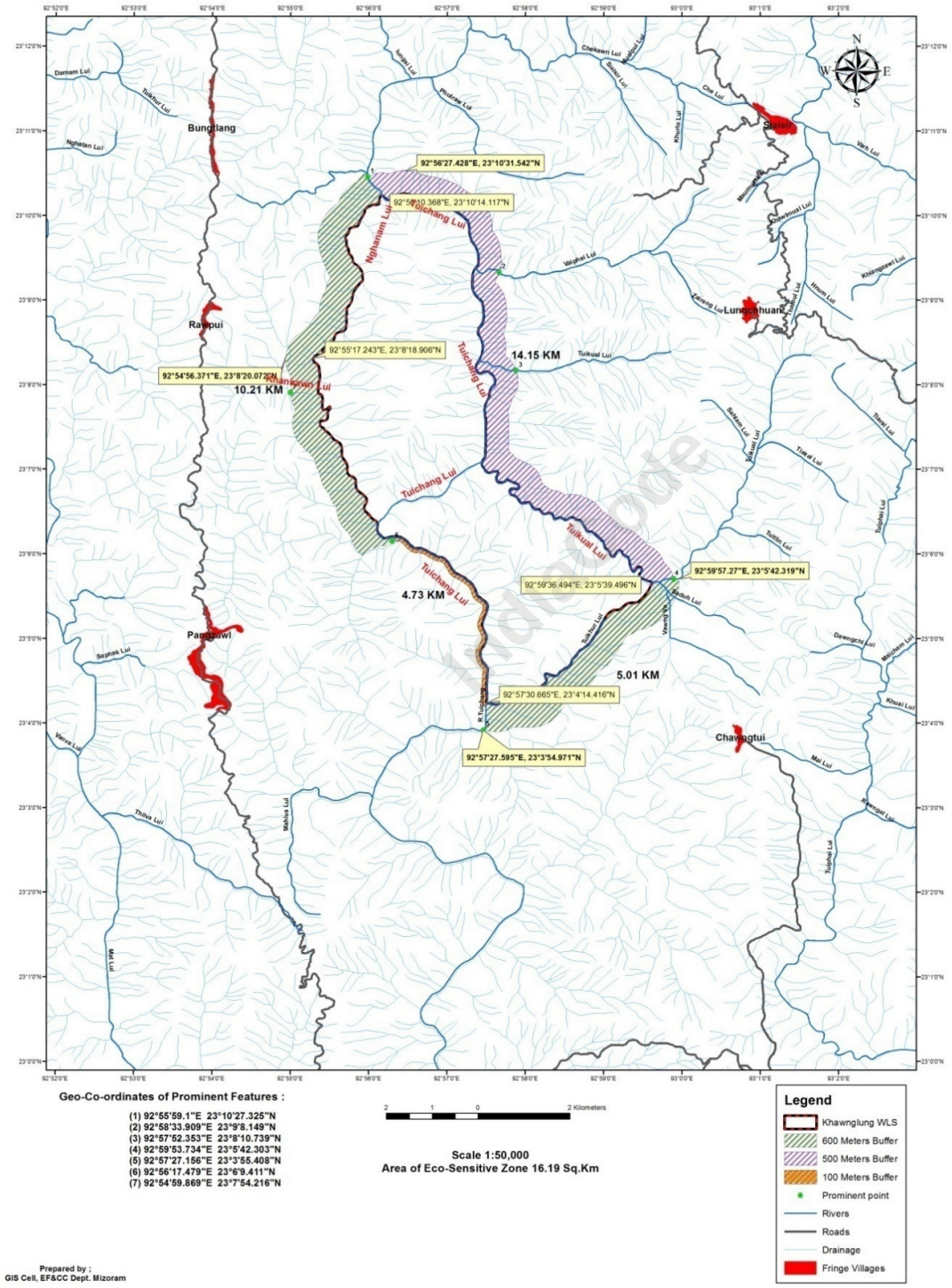
पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा तुईखुर लुई और तुचंग नदी के संगम से 100 मीटर की दूरी तक है। यह 100 मीटर की दूरी पर अभयारण्य की सीमा के साथ जाकर तुहर लुई (92°56'18.18" पू, 23°6'9.242" उ) से मिलती है। इसके परे यह अभयारण्य सीमा से 600 मीटर की दूरी तक फैली हुई है और खावांक्वां लुई (92°54'59.715"पू, 23°7'54.109" उ) को पार करके यह दैदक लुई से मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की चौड़ाई अभयारण्य सीमा से 100 मीटर से 600 मीटर तक विस्तृत है।

IndiaCode

उपाबंध-II

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: खावंगलंग वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	23°10'14.117"उ	92°56'10.368"पू
2	दक्षिण-पूर्व	23°5'39.496"उ	92°59'36.494"पू
3	दक्षिण	23°4'14.416"उ	92°57'30.665"पू
4	उत्तर-पश्चिम	23°8'18.906"उ	92°55'17.243"पू

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अवस्थिति/दिशा के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु	अक्षांश(उ) (डीएमएस प्रारुप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारुप)
1	उत्तर	दैदक लुई	23°10'27.637"उ	92°55'59.084"पू
2	उत्तर-पूर्व	वईफेई लुई	23°9'19.043"उ	92°57'40.276"पू
3	पूर्व	तुईकौल लुई	23°5'42.853"उ	92°59'52.932"पू
4	दक्षिण-पूर्व	तुईतलिन लुई	23°5'42.319"उ	92°59'57.270"पू
5	दक्षिण	तुचैंग लुई	23°3'56.07"उ	92°57'27.647"पू
6	दक्षिण-पश्चिम	तुईहर लुई	23°6'9.242"उ	92°56'18.18"पू
7	पश्चिम	खवांगकाव लुई	23°7'54.109"उ	92°54'59.715"पू

IndiaCode

उपाबंध-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

S.O. 4372(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3881(E), dated the 13th December, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 14th December, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Khawnglung Wildlife Sanctuary is situated in Lunglei District at about 170 kilometers from the State capital, Aizawl of Mizoram in northeastern India;

AND WHEREAS, the Sanctuary was declared by the State Government of Mizoram considering its ecological, floral, faunal and natural significance, and its need for the protection, propagation and development of wildlife and its environment under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 *vide* Notification No. B.12012/10/96-FST dated the 12th October, 2000;

AND WHEREAS, the Sanctuary covers an area of 35.0 square kilometers where 40% of which is Reserve Forest and 60% is Government un-classes land. Most of the area is hilly terrain, except the valleys and foothills, with 70% steep and 30% gentle slopes with sandy clay soil and sedimentary rocks;

AND WHEREAS, the Khawnglung Wildlife Sanctuary has tropical evergreen and semi-evergreen forests with its rich biological diversity plays a vital role in provision of ecological services. The Sanctuary also have tremendous significance for its watershed values, being the only source of perennial water providing supply of drinking water to the fringe villages;

AND WHEREAS, the Sanctuary is tremendously rich in biodiversity, and provides shelter and protection to many rare, endangered and threatened (RET) and endemic species;

AND WHEREAS, Khawnglung Wildlife Sanctuary conserves and supports about 28 species of flora including 14 tree species, 11 species of bamboo and rattans and 3 species of orchids. The 14 tree species include thingpuithing (*Lithocarpus elegans*), saphut (*Randia wallichi*), tatte (*Artocarpus nitidus*), thingsia (*Castanopsis lanceafolia*), chhawntual (*Aporusa octandra*), then (*Quercus helferiana*), khiang (*Schima wallichii*), keifang (*Myrica esulenta*), thensen (*Lithocarpus pachyphylla*), thingsaphu (*Dysoxylum alliaria*), khuangthulh (*Alseodaphne petiolaris*), bulbawr (*Persen villosa*), sevuak (*Olea diocia*) and theiria (*Corallia brachiata*). The 11 species of bamboo and rattans include Roxb rawthing (*Bambusa tulda*), Munro Nakai-Phar (*Chimonobambusa callosa*), munro-Rawpui (*Dendrocalamus giganteus*), nNees and Arn - phulrua (*Dendrocalamus hamiltonii*), Kurz-Rawnal (*Dendrocalamus longispathus*), gamble-rawmi (*Dendrocalamus sikkimensis*), kurz-mautak (*Melocanna baccifera*), gamble-rawthla (*Schizostachyum dullooa*), gamble-rawngal (*Schizostachyum fuchsianum*), majumdar-chal (*Schizostachyum polymorphum*) and munro-lik (*Sinarundinaria griffithiana*), etc;

AND WHEREAS, the Sancturay supports 21 fauna species including 8 species of carnivores, 4 species of primates and 3 species of herbivores. It supports 15 mammalian species including hoolock gibbon (*Hylobates hoolock*), stump-tailed macaque (*Macaca arctiodes*), Phayre's leaf monkey (*Trachypithecus phayrei*), capped langur (*Trachypithecus pileatus*), leopard (*Panthera parades*), golden cat (*Felts temminckii*), marbled cat (*Pardofelis marmorata*), jungle cat (*Felts chaus*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), Himalayan back bear (*Ursus thibetanus*), Malayan sun bear (*Helarctos malayanus*), wild dog/dhole (*Cuon alpines*), serow (*Capricornis rubidus*), goral (*Nemorhaedus griseus*) and barking deer (*Muntiacus muntjak*), etc;

AND WHEREAS, the Sancturay supports three important reptile species including Burmese python (*Python molunusbivittatus*), king cobra (*Ophiophagus Hannah*) and green whip snake (*Ahaetulla nasuta*), etc.

It also supports three improtant freshwater tortoises/terrapins and turtles including Asian brown tortoise (*Manouria emys*), Assam leaf turtle (*Cyclemys dentate*) and Malayan box turtle (*Cuora amboinensis*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary is rich in avifauna and supports 17 important bird species like kalij pheasant (*Lophura leucomelanos*), grey peacock pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*), bamboo partridge (*Bambusicola fytchii*), small buttonquail (*Turnix sylvaticus*), oriental pied hornbill (*Anthracoceros albirostris*), wreathed hornbill (*Rhyticerus undulatus*), grey wagtail (*Motacilla cinerea*), forest wagtail (*Motacilla indica*), red headed trogon (*Harpactes erythrocephalus*), longtailed broadbill (*Psarisomus dalhousiae*), grey headed parrotbill (*Paradoxornis gularis*), white crested laughing thrush (*Garrulax leucolophus*), brown wood owl (*Strix leptogrammica*), little buttonguail (*Turnix sylvatica*), blue bearded bee eater (*Nyctyornis athertoni*) and grey backed shrike (*Lanius tephronotus*), etc;

AND WHEREAS, the Sanctuary also have 11 endemic species including clouded leopard, Hoolock gibbon, Sun bear, slow lorries, Phayre's leaf monkey, sambar, serow, Khaleej pheasant, peacock pheasant, common hill partridge and pied hornbill, etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Khawnglung Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.1 kilometre to 0.6 kilometre around the boundary of Khawnglung Wildlife Sanctuary, in Lunglei district in the State of Mizoram as Khawnglung Wildlife Sanctuary as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.1 kilometre to 0.6 kilometre around the boundary of Khawnglung Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is **16.19 square kilometres**.

 (2) The boundary description of Khawnglung Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The map of the Khawnglung Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**

 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Khawnglung Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) There are no villages falling inside the Eco-sensitive Zone of the Khawnglung Wildlife Sanctuary**.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

 (i) Environment;

 (ii) Forest and Wildlife;

 (iii) Agriculture and Horticulture;

 (iv) Land Revenue and Settlement;

 (v) Local Administration;

(vi) Police Department;

(vii) Rural Development;

(viii) Municipal and Urban development;

(ix) Tourism;

(x) Fisheries department;

(xi) Rural Development;

(xii) Irrigation and Flood Control;

(xiii) Municipal;

(xiv) Panchayati Raj;

(xv) State Pollution Control Board; and

(xvi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

IndiaCode

14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open well, borewell, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner of Lunglei District	Chairman, ex officio;
2.	Representative of Land Revenue and Settlement Department	Member;
3.	Representative of Rural Development Department	Member;
4.	Representative of Agriculture Department	Member;
5.	Representative of Local Administration Department	Member;
6.	Representative of Public Works Department	Member;
7.	Representative of Public Health Engineering	Member;
8.	Representative of Fishery Department	Member;
9.	Representative of Industries Department	Member;
10.	Representative of Police Department	Member;
11.	Representative of Power and Electricity Department	Member;
12.	Representative of Animal Husbandry and Veterinary Department	Member;
13.	Representative of Soil and Moisture Conservation Department	Member;
14.	Representative of Minor Irrigation Department	Member;
15.	A representative of non-governmental organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
16.	Regional Officer, Mizoram State Pollution Control Board	Member;
17.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
18.	One expert in Biodiversity from reputed institution or university of the State of Mizoram to be nominated by the Government of Mizoram	Member;
19.	Concerned Deputy Conservator of Forest/Divisional Forest Officer	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment,

Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/19/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KHAWNGLUNG WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE MIZORAM

North: Staring from the confluence of Daiduk Lui and Tuichang Lui, (92°55'59.084"E, 23°10'27.637"N) the Eco-sensitive Zone boundary runs at a distance of 500 meters away from the Sanctuary boundary till it meets Vaiphei Lui (92°57'40.276"E, 23°9'19.043"N).

East: After crossing Vaiphei Lui, the eastern boundary of Eco-sensitive Zone runs at a distance of 500 meters from the Sanctuary boundary till it meets Tuikual lui (92°59'52.932"E, 23°5'42.853"N).

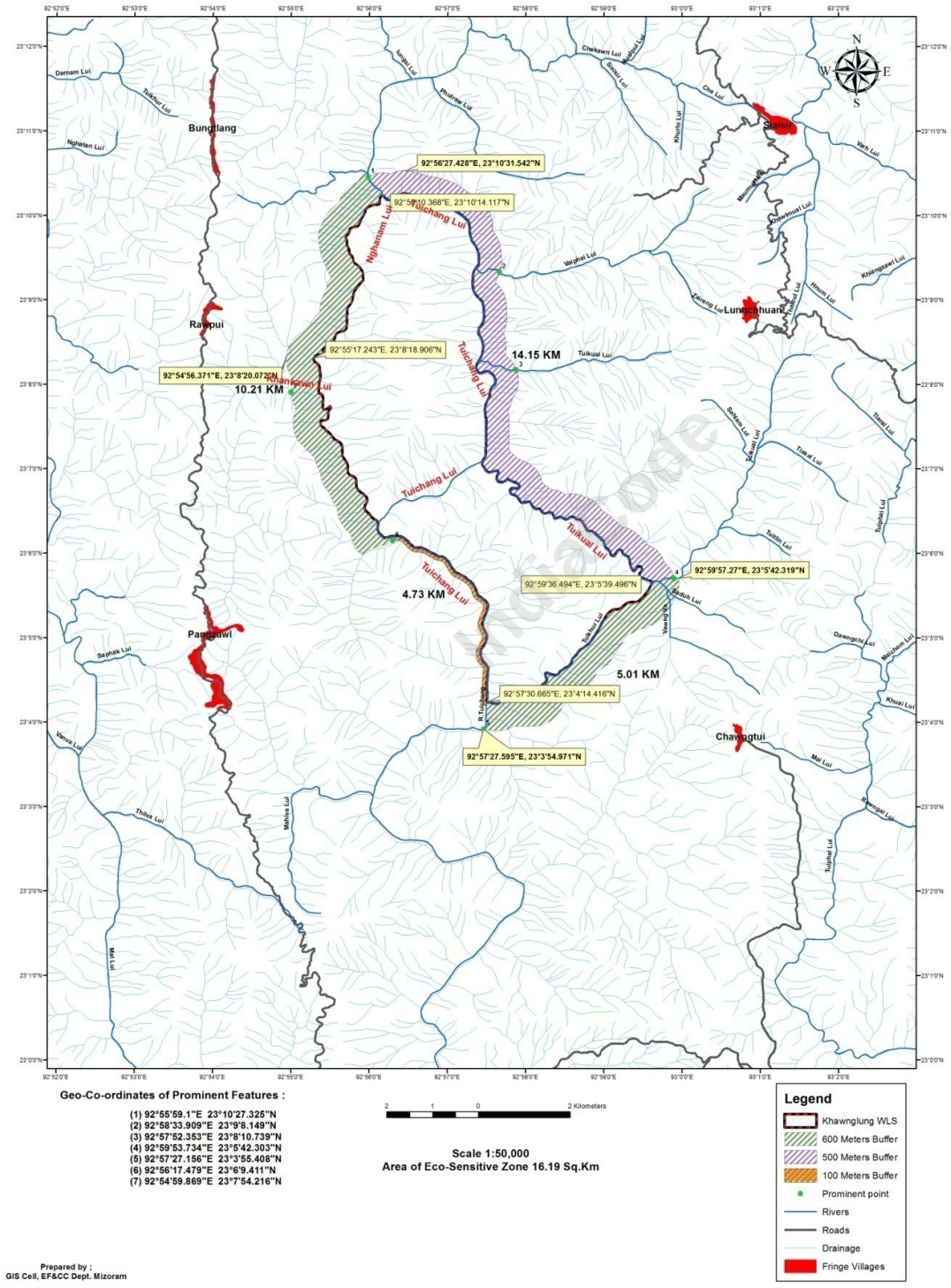
South: From the Tuikual Lui the Southern boundary extends at a distance of 600 meters from the sanctuary boundary till it meets Tuchang river (92°57'27.647"E, 23°3'56.07"N).

West: The western boundary of the Eco-sensitive Zone starts at a distance of 100 meters away from the confluence of Tuikhur lui and Tuichang River. It runs along the boundary of the Sanctuary at a distance of 100 meters till it meets Tuihar Lui (92°56'18.18"E, 23°6'9.242"N). Beyond that it extends at a distance of 600 meters of Sanctuary boundary and after crossing Khawnkawn lui (92°54'59.715"E, 23°7'54.109"N) it meets Daiduk lui.

The width of the Eco-Sensitive Zone varies from 100 meters to 600 meters from the Sanctuary boundary.

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KHAWNGLUNG WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KHAWNGLUNG WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	23°10'14.117"N	92°56'10.368"E
2	South-East	23°5'39.496"N	92°59'36.494"E
3	South	23°4'14.416"N	92°57'30.665"E
4	North	23°8'18.906"N	92°55'17.243"E

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Location/Direction of Prominent point	Prominent point	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	North	Daiduk Lui	23°10'27.637"N)	92°55'59.084"E
2	North-East	Vaiphei Lui	23°9'19.043"N	92°57'40.276"E
3	East	Tuikual Lui	23°5'42.853"N	92°59'52.932"E
4	South-East	Tuitlin Lui	23°5'42.319"N	92°59'57.270"E
5	South	Tuchang Lui	23°3'56.07"N	92°57'27.647"E
6	South-West	Tuihar Lui	23°6'9.242"N	92°56'18.18"E
7	West	Khawnkawn Lui	23°7'54.109"N	92°54'59.715"E

Indiacode

ANNEXURE –IV

Performa of Action Taken Report:-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.06 22:38:15 +05'30'